न्यायालय– सिविल जज (सी०डि०), तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 118/2015
CIS No. :– TS/274/2018

नजाऊ मियां बनाम **शंकर महतो एवं अन्य**

दिनांक–25.01.2021

अभिलेख पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र दिनांक 03.12.2020 पर सुना जा चुका है। अभिलेख का अवलोकन किया।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 03.12.2020 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि वादपत्र के पेज नं०–3 की 11वीं पंक्ति में गलती से खाता संख्या 85 के स्थान पर खाता संख्या 551 दर्ज हो गया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि वादपत्र में उक्त संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाये।

प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति पत्र दिनांक 07.01.2021 प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है, चूंकि संशोधन प्रार्थना पत्र अभिवचन का भाग है। वादी को प्रश्नगत भूमि की प्रकृति एवं स्वरूप के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। उक्त संशोधन से वादी की हकीयत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में जो संशोधन चाहा गया है वह सामान्य प्रकृति का है। इससे वादपत्र की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चूंकि वादी द्वारा यह प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से लाया गया है। वादी का संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 03.12.2020 हर्जे के साथ स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 03.12.2020 मु०–700/- रूपये हर्जा के साथ स्वीकार किया जाता है। वादी को आदेशित किया जाता है कि वादपत्र में उक्त संशोधन विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर करे।

अभिलेख वास्ते वादी साक्ष्य हेतु दिनांक–10.02.2021 को पेश हो।

अपर सिविल जज (सी०डि०) तृतीय
न्यायालय कक्ष–4, नरकटियागंज।